हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम,जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील प्रार्थी एवं सरकारी वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया था कि इसी भूमि के संबंध में दर्ज अन्य दो इंतकाल सं० 294 व 295 में शुद्धि हेतु पत्रावलियां न्यायालय में लंबित है तथा उन्हें एक साथ निर्णित की जाने की प्रार्थना की। अतः इस प्रावली के अलावा प्रकरण सं० 09/18 भूपराम vs. स्टेट तथा 11/18, रामकुमार बनाम स्टेट को कलब किया जाता है। तीनो पत्रावलियों को कलब कर तीनो पत्रावलियों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सबूत-जाप्ता के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजात बैयनामा - दानपत्र, इंतकाल व जमाबंदी तथा जवाब स्टेट का गहन अवलोकन व अध्ययन करने पर तथा बहस पर मनन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि पर साल इंतकाल दर्ज होने के कारण लिपिकीय त्रुटी अथवा दोहराव के कारण इंतकाल दर्ज करने में त्रुटी हुई है अतः बैयनामो व दानपत्र के द्वारा हस्तांतरित भूमि	

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की ... में जारी
	निर्मलकुमार के खातेदारो का नाम जमाबन्दी से हटाने व प्रार्थीगण पदमकुमार, भूपराम व रामकुमार को चक 4 MSD के खाता सं. 21 पं.नं. 152/342 मु.नं. 32 के किला नं. 11 की 0.253 है. कमाण्ड भूमि का 1/3 - 1/3 बहिन दर्ज करने के आदेश तहसीलदार, रायसिंहनगर को दिये जाते है। इस प्रकरण में दिये गये शुद्धि आदेश की प्रति इसी भूमि से संबंधित दोनों अन्य पत्रावलियों प्रकरण सं. 9/18 भूपराम बनाम स्टेट व 11/18, रामकुमार बनाम स्टेट में प्रति संलग्न की जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को लिखा जावे। तीनों पत्रावलियां फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (सन्दीप कुमार) उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner